

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-29/2011

/कृ०, पटना, दिनांक मई, 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री रत्नेश पाण्डेय,
मेसर्स एग्रीकेम इण्डिया प्रा०लि०,
द्वारा-श्री पंकज कुमार झोलिया,
H/O-श्री धमेन्द्र कुमार,
S/O- स्व० जगनारायण यादव,
मसौढ़ी रोड, बड़ी पहाड़ी, थाना-अगमकुआँ, पटना-07

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-40-41 दिनांक 20.04.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित अनुज्ञप्ति संख्या 40-41 दिनांक 20.04.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्रमांक	कीटनाशी का नाम	क्रमांक	कीटनाशी का नाम
1	Chlorpyriphos 20% E.C	20	Indoxacarb 14.5% SC
2	Cypermethrin 10% E.C	21	Acetamiprid 20% S.P
3	Cypermethrin 25% E.C	22	2, 4 D Sodium Salt 80% W.P
4	Dimethoate 30% E.C	23	Fipronil 5% S.C
5	Fenvalerate 0.4% D.P	24	Piroxofop Propanyl (Clodinafop Propargyl) 15% WP
6	Mancozeb 75% W.P	25	Spinosad 2.5% SC
7	Acephate 75% S.P	26	Anilofos 30% EC
8	Dichlorovos 76% E.C	27	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP
9	Quinalphos 1.5% D.P	28	Triaccontanol 0.05% EC
10	Malathion 50% E.C	29	Chlorpyriphos 10% GR
11	Sulphur 80% W.P	30	Triaccontanol 0.05% GR
12	2-4, D Ethyl Ester 38% WP	31	Metribuzin 70% WP
13	Ethapone 39% S.L	32	Butachlor 50% EW
14	Metalaxy 8%+Mancozeb 64% WP	33	Glyphosate 41% SL
15	Carbendazim 50% W.P	34	Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC
16	Fenvalerate 20% E.C	35	Tricyclazole 75% WP
17	Phorate 10% C.G	36	Alphamethrin 10% EC
18	Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% E.C	37	Hexaconazole 5% EC
19	Triazophos 40% E.C	38	Buprofezin 25% SC

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स एग्रीकेम इण्डिया प्रा०लि०, द्वारा-श्री पंकज कुमार झोलिया, H/O-श्री धमेन्द्र कुमार, S/O- स्व० जगनारायण यादव, मसौढ़ी रोड, बड़ी पहाड़ी, थाना-अगमकुआँ, पटना-07

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-40-41 दिनांक 20.04.2012 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2280

/कृ0, पटना, दिनांक ...16... मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।